न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 32/2017

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

श्री मांगु पिता नारायण माली जाति माली उम्र वयस्क निवासी जोर का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. उगमा पिता नाराण माली जाति माली उम्र वयस्क निवासी जोर का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
2. मोहनकंवर पत्नि फतहसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी रामनगर तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
3. मनोहरसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी रामनगर तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी तहसील कोटडी

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:: आदेश ::-

दिनांक 11.2.17

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 11/02/2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम रामनगर पटवार हल्का नन्दराय भू.अ.नि. क्षैत्र नन्दराय तहसील कोटडी में खाता संख्या 148 में आराजी संख्या 3940/238, 3940/252 कुल कीता 2 रकबा 5 बीघा** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक **नन्दराय** को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

-:: आदेश ::-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके **ग्राम रामनगर पटवार हल्का नन्दराय भू.अ.नि. क्षैत्र नन्दराय तहसील कोटडी में खाता संख्या 148 में आराजी संख्या 3940/238, 3940/252 कुल कीता 2 रकबा 5 बीघा** भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 100 रूपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ. निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी जिला-भीलवाड़ा